राजस्थान–सरकार

–:: न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान) ::–

(पीठासीन अधिकारी, : श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–96 / 2025
जी.सी.एम.एस. :–2025 / 109

दायर दिनांक :–03.04.2025
फैसला दिनांक :–06.08.2025

श्री सरकार बजरिए भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री डूंगर पिता केहोर पटेल, निवासी–बोरी
2. श्रीमति केसर पत्नी स्व. देवा पटेल, निवासी–बोरी
3. श्रीमति डाई पत्नी स्व. देवा पटेल, निवासी–बोरी

–विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. राजकीय पेरोकार –प्रार्थी
2. श्री कन्हैयालाल पाटीदार, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटनद्ध नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व / भू.अ. / 1915–17 दिनांक 13.01.2022 द्वारा ग्राम बोरी तहसील डूंगरपुर के आराजी खसरा नम्बर 1952 में रकबा 0.16 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी। मौके पर कब्जा, काश्त नही किया गया है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने से प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत् उक्त कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त कराने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा राजस्व ग्राम बोरी के खसरा नंबर 1952 रकबा 0.16 हेक्टयेर भुमि में से विपक्षीगण को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा मौके पर कई वर्षो पुराना कब्जा होने व पटवारी के पर्चा मौका एवं पूर्व में विपक्षी के द्वारा उक्त आराजीयात में पेलेन्टी जमा होने के आधार पर उक्त जमीन का नियमानुसार आंवटन किया गया है। विपक्षीगण का उक्त आराजीयात पर आवंटन से पूर्व कई वर्षो से कब्जा काश्त है। तथा उसके द्वारा पेलेन्टी भी जमा करा रखी है, मौके पर कब्जे के आधार पर ही विपक्षी को उक्त आरजीयात में भुमि आंवटन हुई है। विपक्षी को उक्त जमीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गठित सदस्यो के द्वारा मौके पर कब्जे एवं क्राश्त होने के आधार को तथा सम्पुर्ण कार्यवाही आंवटन नियम 14(3) के अनुसार की गई है तथा पूर्व में पटवारी व तहसीलदार के द्वारा मौका मोयाना करने के पश्चात् मौके पर जमीन का सुपुर्द की जाकर आवंटन की गई है। अतएव आवंटन बरकरार रखा जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता विपक्षीगण सं. 2 एवं 3 को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाव पेश नही करने से जवाव बन्द किया गया।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

उभयपक्षो की बहस सामायत की गई। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस की गई, विपक्षीगण का उक्त आराजीयात पर आवंटन से पूर्व कई वर्षो से कब्जा काश्त है। तथा उसके द्वारा पेलेन्टी भी जमा करा रखी है, मौके पर कब्जे के आधार पर ही विपक्षीगण को उक्त आरजीयात में भूमि आंवटन हुई है। विपक्षीगण को उक्त जमीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गठित सदस्यो के द्वारा मौके पर कब्जे एवं काश्त होने के आधार को तथा सम्पुर्ण कार्यवाही आंवटन नियम 14 (3) के अनुसार की गई है। अधिवक्ता दौहराने बहस यह भी कथन किया कि विपक्षीगण सं. 2 व 3 का पृथक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथापि उनके अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि चूंकि विपक्षीगण सं. 1, 2 व 3 के अधिवक्ता एक ही हैं तथा विषयवस्तु समान है। अतः विपक्षीगण सं. 1 द्वारा प्रस्तुत उत्तर को ही विपक्षीगण सं. 2 एवं 3 का उत्तर माना जावे। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा आवंटन अधिनियम का कोई उल्लघन नहीं करने तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने का कथन किया। प्रार्थी राजकीय पेरोकार द्वारा अपने कथन में विपक्षीगण को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई थी। यदि विपक्षीगण का पूर्व से विधिक कब्जा होता तो उसे आवेदन के समय या संबंधित प्रक्रिया में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। विपक्षीगण द्वारा आवंटन के 3 वर्ष से अधिक का समय होने पर भी विपक्षीगण ने न तो शर्तो की पालना की और न ही मौके पर कब्जा, काश्त किया है। अतः भूमि का आवंटन निरस्त किया जाए।

मैरे द्वारा राजकीय पेरोकार एवं अधिवक्ता विपक्षीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि भूमिधारी तहसीलदार, एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा, काश्त नही पाया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवंटी विपक्षीगण द्वारा राजस्थान भू.राजस्व, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 14 (3) का स्पष्ट उल्लघन करना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 1915–17 दिनांक 13.01.2022 से विपक्षीगण को ग्राम वोरी के खसरा नम्बर 1952 में किये गये कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन रकवा 0.16 हैक्टर को निरस्त किया जाता है। निर्णयानुसार पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर तथा भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे ।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)